



552/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 11620 /28/76/एक/2018-19

दिनांक 08 मार्च 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-आजमगढ़।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50164411365	IFSC Code ALLA0212281	176.196

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०पा०प० आजमगढ़	वार्ड न० 08 दशरथ राय के मकान से अशोक राय के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.269	100%
2	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०पा०प० आजमगढ़	वार्ड नं० 15 अमितेश कुमार के मकान सुबाष राय के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.594	100%
3	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०पा०प० आजमगढ़	वार्ड नं० 22 मो० बाजबहादुर में शेखर लाड़ी से धर्मू ब्रिज तक सी०सी० रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	7.144	100%
4	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०पा०प० आजमगढ़	वार्ड नं० 22 मो० बाजबहादुर में सत्तार के घर से शमीम के घर तक इण्टरलॉकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	5.685	100%
5	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०पा०प० आजमगढ़	वार्ड नं० 22 मो० बाजबहादुर में आनन्द के घर से नमरा मस्जिद होते हुए आलीशाद के घर तक सी०सी० रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	9.066	100%
6	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०पा०प० आजमगढ़	वार्ड नं० 22 मो० बाजबहादुर में घर से मस्जिद होते हुए आलीशाद के घर तक सी०सी० रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	8.639	100%
7	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०पा०प० आजमगढ़	वार्ड नं० 22 मो० बाजबहादुर में वाहिद के घर से अकरम के घर तक सी.सी. रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	9.280	100%
8	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०पा०प०	वार्ड नं० 25 में मो० मड़या में पालू के घर से सुलभ शौचालय तक सी०सी० रोड व कवर्ड नाली निर्माण	8.888	100%



552/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व गलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
			आजमगढ	कार्य।		
9	आजमगढ	मु०अ०-३७	न०पा०प० आजमगढ	वार्ड नं० मो० हीरापट्टी नगर कालोनी में हरिऔध नगर गेट से सुरेन्द्र सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	6.877	100%
10	आजमगढ	मु०अ०-३७	न०पा०प० आजमगढ	वार्ड नं० 18 में मो० हीरापट्टी नगर कालोनी में अरुण अग्रवाल के घर से दीपक राय के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	6.868	100%
11	आजमगढ	मु०अ०-३७	न०पा०प० आजमगढ	वार्ड नं० 18 में मो० हीरापट्टी नगर कालोनी में पंकज राय के घर से कौशल राय के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	7.491	100%
12	आजमगढ	मु०अ०-३७	न०पा०प० आजमगढ	वार्ड नं० 18 में मो० हीरापट्टी नगर कालोनी में पंचानन राय के घर से संतोष श्रीवास्तव के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	10.392	100%
13	आजमगढ	मु०अ०-३७	न०पा०प० आजमगढ	वार्ड नं० 18 में मो० हीरापट्टी नगर कालोनी में शैलेन्द्र मिश्र के घर से डा० राना के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	10.374	100%
14	आजमगढ	मु०अ०-३७	न०पा०प० आजमगढ	वार्ड नं० 18 में मो० हीरापट्टी नगर कालोनी में मंगल सिंह के घर से राकेश सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.582	100%
15	आजमगढ	मु०अ०-३७	न०पा०प० आजमगढ	वार्ड नं० 18 में मो० हीरापट्टी नगर कालोनी में मनोज सिंह के घर से इस्मिता पाण्डेय के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	6.415	100%
16	आजमगढ	मु०अ०-३७	न०पा०प० आजमगढ	वार्ड नं० 22 मो० बाजबहादुर बब्लू सिंह के घर से पन्ना वकील के घर तक कवर्ड नाली व सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	8.123	100%
17	आजमगढ	मु०अ०-३७	न०पा०प० आजमगढ	वार्ड नं० 22 मो० बाजबहादुर रमेश मौर्य के घर से नालाधर्मू तक कवर्ड नाली व सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	6.788	100%
18	आजमगढ	मु०अ०-३७	न०पा०प० आजमगढ	वार्ड नं० 22 मो० बाजबहादुर प्रेमचन्द्र के दुकान से कमलेश मौर्य के दुकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	10.329	100%
19	आजमगढ	मु०अ०-३७	न०पा०प० आजमगढ	वार्ड नं० 22 मो० बाजबहादुर पलटू मौर्य के घर से लक्ष्मण मौर्य के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	10.329	100%
20	आजमगढ	मु०अ०-३७	न०पा०प० आजमगढ	वार्ड नं० 25 में नदीम के घर से तारिक के घर होते हुए मंजर के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	8.292	100%
21	आजमगढ	मु०अ०-३७	न०पा०प० आजमगढ	वार्ड नं० 25 मो० जालंधरी में डा० अहमद के घर से मो० तारिक के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	7.740	100%



552/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
22	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०पा०प० आजमगढ़	वार्ड नं० 25 मो० जालंधरी में डा० अख्तर के घर से हलीम के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	8.205	100%
23	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०पा०प० आजमगढ़	वार्ड नं० 04 मो० गुलाम का पुरवा रहमत नगर में अब्दुल्ला के घर से जावेद के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	8.826	100%
	योग				176.196	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

